न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ0पी0बिश्नोई आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 107/2012

अपीलांट्स — **बनाम्** — **रेस्पोडेंट**

1.हिन्दूसिंह पुत्र रूघसिंह
2.तारसिंह पुत्र रूधसिंह
3.गुमानसिंह पुत्र रूघसिंह
4.गोरधनसिंह पुत्र रूघसिंह
5.शंकरसिंह पुत्र सावंतसिंह
6.नेनसिंह पुत्र रणजीतसिंह
7.जसवंतसिंह पुत्र रणजीतसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी लंगेरा तहसील,बाड़मेर

स्वरूपसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी खारा राठौड़ान तहसील,रामसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 23.05.2012बमुकदमा संख्या 02/2012 द्वारा तहसीलदार, बाड़मेर

उपस्थितः— 1.श्री सुनील के.मेराजा अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2.श्री रमेश सोलंकी अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय दिनांक 22.03.2016

1. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट स्वरूपसिंह पुत्र सवाईसिंह ने दिनांक 04.5.2012 को तहसीलदार,बाड़मेर के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि उसका खातेदारी का खेत ग्राम लंगेरा के खसरा नम्बर 97 रकबा 24.08 बीघा का आया हुआ है, जिसमें उसका रहवासी मकान बना हुआ है। उसके खेत से कटाण मार्ग तक आने हेतु उसके पड़ोसी खातेदारों अपीलांट्स का खेत खसरा नम्बर 551/98 रकबा 22 बीघा का आया हुआ है,खसरा नम्बर 551/98 के खेत में से प्रार्थी को कटाण मार्ग में आना पड़ता है। खसरा नम्बर 551/98 में से जाने का रास्ता कई वर्षो से पुराना एंव चालू है। प्रार्थी के खेत से जाने के लिये यही एक मात्र आवागमन का रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 551/98 के खातेदार हिन्दूसिंह वगैरह ने उनके खेत में आने जाने के रास्ते को जेसीबी मशीन से खाई खोदकर बंद कर दिया तथा हमारे खेत पर आने जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

मे रूकावट पैदा करते है। इसलिये आने जाने के लिये रास्ता जो पीढियो से चला आ रहा है,को चालु करवाया जाए। इस पर तहसीलदार,बाड़मेर ने प्रकरण संख्या 02/2012 दर्ज कर,बाद जॉच व सुनवाई अपीलाधीन आदेष दिनांक 23.05.2012 द्वारा खसरा नम्बर 551/98 में चलने वाले रास्ते को खुलवाने का आदेश पारित किया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की ।

2. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि रेस्पोडेंट द्वारा बिना तारीख का आवेदन पत्र तहसीलदार,बाड़मेर को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के क्रम में अनुसूची III में क्रम संख्या 81 पर अंकित आवेदन की श्रेणी में नहीं आता है एंव उक्त अनुसूची में धारा 251 के तहत न्याय शुल्क के रूप में 50 पैसे नियत होने के पश्चात् रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कोई न्याय शुल्क पेश नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टतया आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं था मगर इसके बावजूद विधि के स्थापित नियमो के विपरित जाकर आदेश पारित किया है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलांट्स एंव रेस्पोडंट की भूमि ग्राम पंचायत आटी में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251की उपधारा (1)द्वारा भूमि धारक के रास्ते के आधार पर वास्तविक उपयोग में विघ्न होने पर उसके प्रार्थना पत्र. को निपटाने की शक्तियां ग्राम पंचायत को है मगर तहसीलदार ने इस मामले में अपने अधिकारो से परे जाकर आदेश पारित किया है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलांट्स के खातेदारी का एक खेत मौजा लंगेरा में खसरा नम्बर 551/98 रकबा 22 बीघा का स्थित है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट्स के खसरे के पास का खेत खसरा नम्बर 97 रकबा 23.08 बीघा भूमि करीब 4–5 वर्ष पूर्व खरीद की थी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई लोक मार्ग नहीं था। अपीलांट के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 551/98 की खातेदारी कृषि भूमि है इस भूमि पर कोई पुराना रास्ता नहीं है। उन्होने तर्क दिया कि धारा 251 के तहत मौके पर [illegible] रास्ता होने पर खुलवाने का अधिकार तहसीलदार को है परन्तु नया रास्ता खुलवाने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। विवादग्रस्त रास्ता कदीमी रास्ता नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

दिया गया। तहसीलदार बाड़मेर ने दोनो पक्षों की उपस्थित में मौका नहीं देखा है। मौके की सही जॉच नहीं की गई है। इसलिये अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 23.05.2012 को खारिज फरमाया जावे।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि रेस्पोडेंट का खातेदारी का खेत ग्राम लंगेरा के खसरा नम्बर 97 रकबा 24.08 बीघा का आया हुआ है जिसमें उसका एक रहवासी मकान बना हुआ है। उसके खेत से कटाण मार्ग तक आने हेतु उसके पड़ोसी खातेदारो अपीलांट्स का खेत खसरा नम्बर 551/98 रकबा 22 बीघा का आया हुआ है खसरा नम्बर 551/98 के खेत में से प्रार्थी को कटाण मार्ग से आना पडता है। खसरा नम्बर 551/98 में से जाने का रास्ता कई वर्षो से पुराना एंव चालू है। रेस्पोडेंट के खेत में आने जाने के लिये यही एक मात्र आवागमन का रास्ता है। उन्होने तर्क दिया कि खेत खसरा नम्बर 551/98 से होते हुए खसरा नम्बर 97 रेस्पोडेंट के खेत में पहुँचते है जिसको रेस्पोडेंट व इस खसरा के पूर्वज सुखाचार के तौर पर आज तक उपयोग करते आ रहे है उन्होने तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा मौके की जॉच में विवादग्रस्त रास्ता कदीमी रास्ता बताया है, जिस पर रास्ता खुलवाने के आदेश पारित किये गये है। अब इस कदीमी रास्ते को बंद करने का आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। रास्ता बन्द होने से अपीलांट को अपने खेत व ढाणियो में आने जाने की अपीलांट को दुविधा हो रही है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसलिये तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह सही एंव न्यायोचित है लिहाजा अपीलांट्स की अपील खारिज की जाए।

5. हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता खुलवाने से पूर्व जॉच कर यह देखना आवश्यक है कि जो रास्ता बताया जा रहा है, वह पुराना कदीम से है या नहीं और उसके बंद करने से लोगों के सुखाचारों का हनन तो नहीं होगा। इस सम्बन्ध में हमने तहसीलदार,बाड़मेर द्वारा मौके की गई जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। नजरी नक्शा एंव फर्द मौका दिनांक 10.5.2012 अनुसार रेस्पोडेंट के गांव लंगेरा के खसरा नम्बर 97 में पक्का [illegible] मकान बना हुआ है व खसरा नम्बर 97 से लगता अपीलांट्स का खसरा नम्बर [illegible]/98 व खसरा नम्बर 557/112 खातेदारी खेत है। इस खसरा नम्बर 557/[illegible] से एक गेवल सड़क जो गडरारोड से शुरू होती है, व आगे गैर मुमकिन मार्ग से [illegible]ती है, जिसे वर्तमान खसरा नम्बर 97

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:38 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

व 551/98 के खातेदारो के मध्य आपसी अन–बन होने से खसरा नम्र 551/98 के खातेदारो ने इस रास्ते को आड़ी खाई जेसीबी से खोदकर रास्ता अवरूद्ध करना बताया है तथा खसरा नम्बर 97 में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं बताया है। इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 551/98 मे रास्ता चलता था जिसमें से होकर खसरा नम्बर 97 के खातेदार आते जाते रहे। अपीलांट्स द्वारा रास्ते को बन्द कर आवागमन को बाधित किया गया है। अपीलांट्स ने रेस्पोडेंटस के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर सुखाचार में अवरोध उत्पन्न किया है। सुखाचार में अवरोध करने का अपीलांट्स को कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार मौके की जॉच रिपोर्ट एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 97 में प्रवेश हेतु खसरा नम्बर 551/98 में होते हुए यह एक सुगम एंव कदीमी रास्ता है, जिसे खुलवाना जाना आवश्यक होने से तहसीलदार,बाड़मेर ने बाद जॉच अपीलाधीन आदेश पारित किया है उसमें कोई वैधानिक त्रुटि एंव अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है।

6- उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपीलांट्स की अपील सारहीन एंव आधारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2012 यथावत रखा जाता है।

(ओ0पी0बिश्नोई),
अपर कलक्टर,बाड़मेर.
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय आज दिनांक 22.03.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.01.29 13:28:38 IST
Reason: SelfAttested